प्रति,

1. **समस्त आयुक्त,**
   नगर पालिका निगम,
   मध्य प्रदेष
2. **समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,**
   नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद्,
   मध्य प्रदेष

विषयः– **ई–नगर पालिका के माध्यम से वृक्ष कटाई एवं छँटाई की अनुमति प्राप्त करने हेतु।**

विषयान्तर्गत लेख हैं कि ई–नगर पालिका के माध्यम से वृक्ष कटाई एवं छँटाई की अनुमति प्राप्त करने हेतु विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा आवष्यक मार्गदर्षन चाहा जा रहा हैं। इस हेतु www.mpenagarpalika.gov.in पोर्टल पर वृक्ष कटाई एवं छँटाई पर क्लिक करने के पश्चात् निम्नानुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।

(अ) आवेदक द्वारा आवेदन करने की प्रक्रियाः–

1. सर्वप्रथम आवेदक को जिस नगरीय निकाय से वृक्ष कटाई एवं छँटाई हेतु आवेदन करना हैं, का चयन किया जावेंगा। इसका चयन करते ही आवेदक के समक्ष आवेदन पत्र प्रारूप प्रदर्षित होगा, जिसमें आवेदक अनिवार्य जानकारियां जैसे नाम, पता, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि दर्ज करें।
2. तदोपरांत आवेदक द्वारा वृक्षों जिनकी कटाई/छँटाई अपेक्षित है, की अवस्थिति का विवरण जैसे– मकान/प्लॉट नंबर, मार्ग, कॉलोनी, खसरा क्रमांक इत्यादि दर्ज किया जावेगा।
3. आवेदक द्वारा वृक्षों का ब्यौरा जैसे– वृक्षों की संख्या गोलाई सहित, जाति, वृक्षों की दशा की जानकारी उपलब्ध करावें।

4. आवेदक द्वारा प्रत्येक वनोपज जिनकी कटाई/छँटाई अपेक्षित है की ब्यौरेवार जानकारी दर्ज करने हेतु Add Tree Tab का उपयोग करें। इसी क्रम में वनोपज की जानकारी हटाने हेतु Remove Tree Tab का उपयोग करें।

5. वृक्षों की जानकारी भरने के उपरांत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवेदक के पास दो विकल्प निम्नानुसार होगें:–

अ–स्वयं के द्वारा वृक्षारोपण

ब– वृक्षारोपण हेतु राषि नगरीय निकाय को जमा कराने हेतु

आवेदक उपरोक्त में से किसी एक विकल्प का चयन करेंगा।

6. आवेदक द्वारा स्वयं के द्वारा वृक्षारोपण के टेब पर क्लिक किये जाने पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के ब्यौरे की जानकारी जैसे:– पटवारी हल्का क्रमांक, तहसील, ज़िला, रोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र (वर्ग मीटर में), की जानकारी दी जानी होगी एवं भूमि का नक्शा संलग्न किया जाना होगा। आवेदक यदि भूमि का स्वामी नही है तो भूस्वामी लिखित सहमति संलग्न प्रारुप अनुसार उपलब्ध करावें।

7. इसके पश्चात् भूमि के स्वामित्व की प्रकृति जैसे भूमि स्वामी पट्टा, लीज़, अभिघृति आदि की जानकारी दर्ज करें।

8. अगर आवेदक द्वारा वृक्षारोपण हेतु राषि नगरीय निकाय को जमा कराने हेतु का चयन किया जाता हैं तो, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित राशि प्रतिवृक्ष अभिदाय करने हेतु वचन पत्र भरकर सहमति दिया जाना अपेक्षित है। समस्त भुगतान ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे।

9. आवेदन प्रक्रिया हेतु निर्धारित शुल्क भुगतान के पश्चात् Transaction No. स्वतः ही ई–नगरपालिका के सेप साफ्टवेयर द्वारा जनरेट हो जाएगा। Transaction ID जनरेट होते ही सिस्टम द्वारा आवेदक एवं संबंधित निकाय के लिपिक को एसएमएस जनरेट होगा। आवेदक के एसएमएस में Transaction ID एवं किस लिपिक को आवेदन अग्रेषित

हुआ हैं, का नाम एवं मोबाईल नंबर की जानकारी दी जावेंगी तथा लिपिक के एसएमएस में Transaction ID एवं आवेदक का नाम एवं मोबाईल नंबर होगा।